International Journal of Education and Science Research Review
E-ISSN 2348-6457
December- 2017, Volume-4, Issue-6 P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org Email- editor@ijesrr.org

महिला सशक्तिकरण के लिए संवैधानिक प्रावधान

Dr. Liladhar Soni

Lecturer in Sociology

SPC Government College, Ajmer

सार

संपूर्ण मानव जाति को महिला और पुरुष इन दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। महिला और पुरुष के बीच में शारीरिक अन्तर प्राकृतिक है। यह प्राकृतिक अंतर महिला और पुरुष दोनों की क्षमताओं और भूमिकाओं में भी कुछ क्षेत्रों में अंतर करता है। प्रकृति ने अधिकांश जीवो को इन दो लिंगों में विभाजित किया है किंतु मनुष्य ने इस प्राकृतिक विभाजन के अतिरिक्त भी सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर दोनों लिंगों में अंतर करने के आधार विकसित किए हैं। जब सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर दोनों लिंगों में असमानता जोड़ दी जाती है तो यह लैंगिक असमानता के रूप में मानी जाती है। हम यह देखते है कि दुनिया के विभिन्न देशों में अधिकांश कार्यों में लैंगिक आधार पर स्त्री और पुरुषों के बीच में असमान व्यवहार किया जाता है और अधिकांश जगह स्त्रियों की तुलना में पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता है तथा उन्हें ज्यादा योग्य समझा जाता है और अधिकांश महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी पुरुषों को ही दी जाती है। लैंगिक आधार पर असमानता भारत में भी एक मुख्य मुद्दा है। वैदिक कालीन अनेक ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिससे हमें पता चलता है कि भारत महिलाओं को अति महत्वपूर्ण स्थान समाज में दिया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में महिलाओं को लैंगिक आधार पर भेदभाव से बचाने तथा समानता का व्यवहार करने के लिए अनेक संवैधानिक प्रावधान संविधान में किए गए हैं।

कुंजी शब्द: महिला सशक्तिकरण, सामाजिक, सांस्कृतिक, संवैधानिक प्रावधान

महिला सशक्तिकरण हेतु हो रहे हैं अति महत्वपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी लैंगिक असमानता विश्व के सभी देशों में किसी न किसी रूप में हम देख सकते हैं। वैश्विक दृष्टिकोण से बात करें तो लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए किए जा रहे हैं मैं पूर्ण प्रयासों में पिछले कुछ वर्षों में बहुत तेजी देखी जा रही है अलग-अलग क्षेत्रों में महिलाओं को बराबरी का स्थान प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं इन प्रयासों के बावजूद भी लैंगिक असमानता और महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव वर्तमान विश्व की वास्तविकता है नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने लैंगिक असमानता को 7 रूपों में विभाजित किया है मृत्यु दर असमानता: स्त्रियों और पुरुषों में उससमानता के कारण महिलाओं में उच्च मृत्यु दर का होना, प्रासूतिक असमानता: परंपरागत तरीकों और आधुनिक तकनीक का उपयोग करके गर्भ में शिशु के लिंग का पता लगाकर यदि कन्या भ्रूण है तो गर्भपात करवा देना , मौलिक सुविधा असमानता: भौतिक सुविधाओं की दृष्टि से भी अनेक देशों और देश के अंदर भी

विभिन्न क्षेत्रों में स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में सुविधाएं और आगे बढ़ने के अवसर कम देना और अनेक तरह के प्रतिबंध लगा देना विशेष अवसर असमानता: विश्व के विभिन्न देशों में यहां तक कि विकसित देशों में भी उच्च शिक्षा तथा अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण और कुछ अन्य क्षेत्रों में लैंगिक आधार पर पक्षपात किया जाता है और महिलाओं को इन क्षेत्रों क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अनुमति और सुविधाएं पुरुषों की तुलना में सीमित होती है। व्यवसायिक असमानता: बिछड़े हुए, विकासशील और विकसित सभी राष्ट्रों में कम और अधिक मात्रा में व्यवसायिक असमानता पाई जाती है अर्थात रोजगार और व्यवसाय प्राप्त करना और उसमें आगे बढ़ना तुलनात्मक रूप से महिलाओं के लिए कठिन माना जाता है। स्वामित्व असमानता: संसाधनों और भूमि संबंधी स्वामित्व में भी महिला और पुरुषों में काफी अंतर दिखाई देता है और महिलाओं को पुरुषों की तुलना में सीमित स्तर पर है स्वामित्व प्रदान किया जाता है जिसके कारण अनेक गतिविधियों में महिलाएं पिछड़ जाती है अथवा वंचित रह जाती है। घरेलू असमानता: घर के भीतर भी लैंगिक स्तर पर बहुत सी असमानताएं देखी जा सकती है। सामान्यतः पुरुष घर के बाहर का कार्य करते हैं और महिलाएं घरेलू कार्य करती है, बच्चों का पालन पोषण और गृह कार्य महिलाओं का दायित्व माना जाता है। इस प्रकार से लैंगिक आधार पर दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों सहित भारत में अनेक तरह की असमानताएं पाई जाती है जो क्षेत्रीय आधार पर कम या ज्यादा हो सकती है, किंतु इन असमानताओं को आसानी से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है।

विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाने वाली इन विभिन्न असमानताओं के कारण दुनिया के अनेक क्षेत्रों में महिलाओं के विरुद्ध विभिन्न तरह के अपराध और अपराधी घटनाएं देखी जा सकती है। आपराधिक घटनाओं की संख्या दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में कम और अधिक हो सकती है किंतु दुनिया के लगभग सभी क्षेत्रों में इस तरह की आपराधिक घटनाएं आधुनिक विश्व में भी अपना अस्तित्व बनाए रखे हुए हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराध को प्रमुख रूप से निम्न तीन भागों में बांटा जा सकता है। 1 आपराधिक इंसान जैसे बलात्कार, हत्या और अपहरण। 2 घरेलू हिंसा जैसे दहेज अपराध, यौन हिंसा तथा विधवाओं और वृद्ध महिलाओं के साथ भेदभाव। 3 सामाजिक हिंसा जैसे पत्नी और पुत्र वधू को कन्या भ्रूण हत्या के लिए मजबूर करना, महिलाओं को संपत्ति में हिस्सा न देना, और पुत्रवधू को दहेज लाने के लिए मजबूर करना इत्यादि। महिलाओं के विरुद्ध इन भेदभाव और हिंसा के बावजूद दुनिया के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं को बराबर अधिकार देने के लिए मांग उठती रहती हैं और इस संदर्भ में अनेक प्रयास विभिन्न देशों में हुए हैं। भारत में भी संवैधानिक रूप से महिलाओं को विभिन्न तरह के अधिकार और संरक्षण प्रदान किए गए हैं जो निम्नलिखित है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता

राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

अनुच्छेद 15(1): राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म,मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा।

अनुच्छेद 15(3): इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।

अनुच्छेद 39 का विवरण - राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्त्व

राज्य अपनी नीति का, विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से-

(क) पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो;

(घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो।

(ङ) पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों।

अनुच्छेद 42: काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध

राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा ।

51क.(ङ): भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है।

अनुच्छेद 243 (द) (3): स्थानों का आरक्षण

प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे ।

अनुच्छेद 325: धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक-नामावली में साम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक-नामावली में साम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना।

भारतीय संविधान में यह विभिन्न अनुच्छेद महिलाओं की महिलाओं की स्थिति को सम्मान पूर्वक बनाने, महिलाओं के साथ भेदभाव ना हो यह स्थिति सुनिश्चित करने तथा एक गरिमा पूर्ण जीवन महिलाओं को प्रदान करने हेतु बनाए गए हैं जो महिलाओं को पुरुषों के समान कानून के समक्ष समान मानने, राज्य द्वारा किसी भी तरह का भेदभाव ना करने, स्त्रियों की स्थिति को उच्च बनाने के लिए विशेष उपबंध करने और जीविका के साधन सम्मान पूर्वक उपलब्ध कराने तथा पुरुषों के समान वेतन प्राप्त करने से संबंधित तो है ही इसके साथ ही उन्हें प्रसूति सहायता प्रदान करने और स्त्रियों के विरुद्ध प्रथाओं के त्याग करने, पंचायती राज व्यवस्था में उन्हें आरक्षण प्रदान करने के साथ–साथ समान मताधिकार से संबंधित यह सभी अनुच्छेद भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए हैं जिससे हम यह पाते हैं कि भारत में महिलाओं की स्थिति को उच्च बनाए रखने तथा उन्हें सम्मान प्रदान करने हेतु अनेक प्रावधान भारतीय संविधान में किए गए हैं जो दुनिया के विभिन्न देशों की तुलना में अधिक संवेदनशील और समृद्ध है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

महाजन, महाजन, भारतीय समाज, मुद्दे एवं समस्याएं, विवेक प्रकाशन, दिल्ली, 2003

अमर्त्य सेन, जेंडर 7 टाइप्स ऑफ इनेक्विलिटी, हुमन राइट विजन, इश्यू नंबर 22, दिसंबर, 8 2001

आहूजा, राम, सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया, थर्ड एडिशन, 2014, पेज नंबर 265

भारतीय संविधान, 1950